ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBBIL04292
RNI REG. NO. UPBBIL/2014/66218 PP. NO.- 20-23
ISSN NO.-2347-2944
Vol.-10, No.-I, Issues-11 YEAR- June -2019

मनरेगा का ग्रामीण जीवन पर प्रभाव

चन्द्र प्रकाश

शोधाअध्येता, एम0 ए0 (समाजशास्त्र), नेट, जे0 आर0 एफ0, एस0 आर0 एफ0 डॉ0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या (उ0प्र0) भारत

Received- 29 .04. 2019, Revised- 08 .05. 2019, Accepted - 15.05.2019 E-mail: compact220@gmail.com

सारांश : *निर्धनता एक सार्वभौमिक सामाजिक समस्या है। अन्तर मात्र इतना है कि निर्धनता की मात्रा कहीं कम है तो कहीं अधिक। निर्धनता एक सामाजिक आर्थिक समस्या है, इनका सम्बन्ध विभिन्न प्रकार के अभावों से है। प्रत्येक समाज में निर्धनता के मापदण्ड अलग–अलग है। जहाँ तक विश्व संस्थाओं की बात है, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 1.35 डॉलर प्रतिदिन से कम कमाने वाला व्यक्ति निर्धन है, जबकि विश्व बैंक ने 1.25 डॉलर प्रतिदिन को निर्धनता का मापक माना है। विश्व बैंक ने 2015 इसे बढ़ाकर 1.90 डॉलर प्रतिदिन कर दिया।*

जहाँ तक भारत की बात है तो यहाँ पर निर्धनता को परिभाषित करने के लिए समय–समय पर विभिन्न कमेटियों का गठन किया गया है। फिर भी सामान्य तौर पर यह माना जाता है कि भारत में नगरीय क्षेत्र में 2100 कैलोरी ऊर्जा से कम प्राप्त करने वाला व्यक्ति निर्धन है। वैसे निर्धनता पर नवीनतम कमेटी सी. रंगराजन की अध्यक्षता में गठित किया गया जिसके अनुसार अखिल भारतीय स्तर पर निर्धनों का अनुपात 2011–2012 में 28.5% है।

कुंजी शब्द – निधर्नता, सामाजिक, आर्थिक समस्या, मापदण्ड, मनरेगा, संसाधन, अर्थव्यवस्था, सृजन।

निर्धनता का इतिहास उतना ही पुराना है जितना कि मानव समाज और तभी से निर्धनता निवारण का प्रयास भी किया जाता रहा है। भारत में पाँचवी पंचवर्षीय योजना के पूर्व निर्धनता निवारण के सम्बन्ध में सरकार तथा योजना आयोग ने बिलकुल तटस्थ उपागम अपनाया। यद्यपि निर्धनता निवारण संबंधी सभी बड़े कार्यक्रम तथा योजनायें इसी वर्ष से प्रारम्भ किये गये। निर्धनता निवारण के लिए जो योजनायें या कार्यक्रम प्रारम्भ किये गये उनमें प्रमुख है– समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (2 अक्टूबर, 1980), इन्दिरा आवास योजना (1985–86), प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना (2000–2001), सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (25 दिसम्बर 2001), अन्नपूर्णा योजना (2 अक्टूबर 2000), अन्त्योदय अन्न योजना (25 दिसम्बर 2000), राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना (2004), स्वयं सहायता समूह, जनश्री बीमा योजना (10 अगस्त 2000), काम के बदले अनाज कार्यक्रम (14 नवम्बर 2004) आदि।

इन योजनाओं को जिस उत्साह और लक्ष्य को ध्यान में रखकर लागू किया गया था उसमें सन्तोषजनक सफलता नहीं मिली, क्योंकि इन योजनाओं में जन सहयोग नहीं मिला और कहीं न कहीं इन्हे लागू करने में भी लापरवाही बरती गयी। निर्धनता निवारण में वास्तविक प्रगति तब आयी जब महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम लागू किया गया।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम (छण्त्ण्म्ळण ।ण. नरेगा), 5 सितम्बर, 2005, को पारित हुआ तथा 2 फरवरी, 2006 को इसकी शुरूआत आन्ध्र प्रदेश के अनन्तपुर जिले के बन्दापाली से की गयी। 2, अक्टूबर 2009, से इसका नाम बदलकर महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम (M.N.R.E.G.A. -मनरेगा) कर दिया गया। 2 फरवरी को सरकार ने 'रोजगार दिवस' के रूप में घोषित किया है। प्रारम्भ में यह योजना देश के चुनिन्दा 200 जिलों में लागू किया गया, लेकिन 2007–08 के बजट में 130 जिले को और बढ़ा दिया जिससे जिलों की संख्या 330 हो गयी। तत्पश्चात 2008–09 के बजट में मनरेगा को देश सभी जिलों में लागू कर दिया गया। यह रोजगार सृजन करने वाली योजना है, जो संसद द्वारा पारित अधिनियम के द्वारा ग्रामीण जनसंख्या को रोजगार प्राप्त करने की गारण्टी देता है और साथ ही कानून द्वारा रोजगार प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करती है।

मनरेगा भारत के सभी राज्यों में लागू किया गया है। देश में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को परिवर्तित करने में सरकार और सामाजिक संस्थायें इस कार्यक्रम कों एक महत्वपूर्ण अवसर के रूप में देखने लगें, क्योंकि यह प्रति परिवार 100 दिन का रोजगाार प्रदान करने का आश्वासन देती और बुनियादी ढाँचे के सुधार जिसमें गाँव की उत्पादक उपलब्धियाँ निहित है, उनके लिये पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराती है। मनरेगा में कुछ ऐसी विशेषतायें निहित है जो इसे अन्य योजनाओं से अलग करती है। मनरेगा की प्रमुख विशेषतायें निम्नलिखित है–

1. मनरेगा के अर्न्तगत प्रत्येक ग्रामीण परिवार के कम से कम एक प्रौढ़ सदस्य को वर्ष में कम से कम 100 दिन की गारण्टी युक्त रोजगार प्रदान किया जाता है, जिसके अर्न्तगत कम से कम एक तिहाई स्त्रियां होगी। यदि एक ही परिवार के अर्न्तगत एक पुरूष और एक स्त्री

अनुरूपी लेखक

रोजगार के लिए आवेदन करते हैं तो स्त्री को वरीयता प्रदान की जायेगी।

2. मनरेगा के तहत यह प्रावधान किया गया है कि राजगार चाहने वाले व्यक्ति को 15 दिन के भीतर रोजगार प्रदान किया जायेगा और रोजगार श्रमिक के निवास से 5 किलोमीटर के भीतर होगा और इसके बाहर काम दिये जाने पर प्रत्येक श्रमिक को 10 प्रतिशत अतिरिक्त मजदूरी दी जायेगी और यह मजदूरी राज्य सरकार द्वारा देय होगी। प्रत्येक आवेदनकर्ता को एक जॉब कार्ड प्रदान किया जायेगा और जॉब कार्ड प्राप्त करने के 15 दिन के भीतर काम प्रदान किया जायेगा और जॉब कार्ड प्राप्त करने के 15 दिन के भीतर काम न मिल पाने पर श्रमिक बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने का भागीदार होगा और बेरोजगारी भत्ता न्यूनतम वैध ाानिक मजदूरी की एक तिहाई होगा। यह जॉब कार्ड 5 वर्ष तक वैध माना जायेगा तत्पश्चात पुनः जॉब कार्ड बनवाना पडेगा।

3. मनरेगा इस अर्थ में स्वचयनात्मक है कि निर्धनों में जो लोग न्यूनतम मजदूरी पर काम करने के इच्छुक है वे स्वयं इस स्कीम के तहत कार्य के लिए आते है। ग्राम पंचायत इस स्कीम की क्रियान्वयन इकाई है, परिवार लाभ प्राप्तकर्ता इकाई है।

4. मनरेगा के अर्न्तगत वेतन का भुगतान प्रत्येक सप्ताह किया जायेगा और 15 दिन से ज्यादा विलम्ब होने पर श्रमिकों की क्षतिपूर्ति वेतन भुगतान अधिनियम के तहत की जायेगी। किसी भी प्रकार का लिंग भेदभाव नहीं किया जायेगा। किसी भी प्रकार की चोट का उपचार व क्षतिपूर्ति कार्य स्थल पर सुरक्षित पेयजल, छोटे बच्चों की देखभाल, आराम का समय और प्राथमिक उपचार के डिब्बे का प्रावधान।

इस प्रकार मनरेगा ने सभी वेतन रोजगार कार्यक्रमों से अपनी अलग पहचान बनायी है। यह वेतन रोजगार के लिए अधिकारो पर आधारित ढाँचा एवं वेतन रोजगार का कानूनी आश्वासन उपलब्ध कराती है।

मनरेगा देश के सभी जिलों में क्रियान्वित किया जा रहा है। उसके क्रियान्यवन में भ्रष्टाचार और अनियमिततायें भी देखी जा रही है, जैसे–झूठे जॉब कार्ड बनवाना, अपूर्ण नामावली, गायब नाम व हस्ताक्षर। इसके अलावा मनरेगा पर सरकार द्वारा किये गये अध्ययन में विभिन्न राज्यों में कार्यक्रम के क्रियान्वयन में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार तथा अनिमिततायें थी, जिसमें कुछ क्षेत्रों में तो अफसरो ने केन्द्र कोष का दुरूपयोग किया और कार्यकर्ताओं को मुँह बंद रखने के लिए कहा गया। कभी–कभी जॉब कार्ड्स बनवाने में धोखाधड़ी सामने आयी तो कभी नामावलियों का अच्छी प्रकार से रख रखाव नहीं किया गया और जो लोग काम ढूँढ रहे थे, उन्हे भी काम उपलब्ध नहीं कराया गया। बहुत बार कार्यकर्ताओं ने काम एक ही दिन किया लेकिन उसकी उपस्थिति कई दिन दर्शाया गया और श्रमिको को एक ही दिन भुगतान किया गया जबकि शेष अन्य दिनों का वेतन अधिकारियों ने आपस में बाँट लिया। उन अधिकारियों में से एक ने कहा कि मनरेगा पंचायत अधिकारियों के लिए वरदान है।

मनरेगा के तहत काम करने वालों से जब यह पूछा गया कि क्या आपको वर्ष में 100 दिन काम मिल जाता है, तो उनमें से अधिकांश का मानना था कि हमें वर्ष में पूरे 100 दिन काम नहीं मिल पाता है। कुछ स्थानों पर पंचायत अधिकारियों को परेशान करने के लिए सरपंच राजनीतिक प्रभाव का उपयोग कर रहे है।

उपर्युक्त विवेचना से यह स्पष्ट होता है कि मनरेगा में आज भी बहुत सारी कमियां विद्यमान हैं। फिर भी मनरेगा ने समाज मे वो परिवर्तन लाया जो आज तक किसी अन्य कार्यक्रम द्वारा नहीं किया गया। मनरेगा द्वारा समाज में जो क्रान्तिकारी परिवर्तन लाया है उन्हे निम्न बिन्दुओं में स्पष्ट किया जा सकता हैं–

1. मनरेगा का सर्वाधिक प्रभाव स्त्रियों की स्थिति पर पड़ा है। मनरेगा से पूर्व जितने भी कार्यक्रम लागू किये गये उनमें से कोई भी ऐसा कार्यक्रम नहीं था जो महिलाओं की स्थिति को प्रभावित कर सके। मनरेगा के लागू होने से सर्वप्रथम स्त्रियों में स्वतंत्रता आई। वैसे मनरेगा में यह प्रावधान था कि इसके अन्तर्गत कम से कम एक तिहाई स्थान स्त्रियों के लिए अनिवार्य होगा लेकिन इसके अन्तर्गत यह भी प्रावधान था कि यदि किसी परिवार में स्त्री और पुरूष दोनों काम के लिए आवेदन करते है। तो स्त्रियों को वरीयता दी जायेगी। इसके परिणाम स्वरूप यह देखने को मिला कि प्रारम्भ में मनरेगा के अर्न्तगत लगभग 50ः स्त्रियों का औसत रोजगार का अंश था। 2013–14 में 52.9ः रहा जो राज्यों में अलग–अलग भागेदारी रही। यह प्रतिशत तमिलनाडु में 84ः केरल में 93.4ः राजस्थान में 67.8ः तथा मध्य प्रदेश में 62. 6ः रहा है। इसका परिणाम यह हुआ कि ग्रामीण निर्धन परिवारों की आय में स्त्रियों के रोजगार के कारण बहुत अधि ाक बढ़ोत्तरी हुई है। स्त्रियों के रोजगार का अर्थ हुआ परिवार की आय में पुरूषों की रोजगार के अलावा आय में वृद्धि।

मनरेगा के पूर्व स्त्रियों की स्थिति यह थी कि वे अपनी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पुरूषों पर निर्भर रहती थी। वे उतना ही पाती थी जितना पुरूष उन्हें देते थे। लेकिन मनरेगा के लागू होने से इनकी

ISSN NO.-2347-2944
Vol.-10, No.-I, Issues-11 YEAR- June -2019

स्थिति में व्यापक परिवर्तन आया। ये आर्थिक स्तर पर स्वतंत्र हो गयी। उनकी पुरूषों के ऊपर निर्भरता कम हो गयी। अब वे अपनी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं करने लगी हैं।

2. एक समय था जब यह यह माना जाता था कि ग्रामीण जीवन स्तर निम्न होता है, ग्रामीण जीवन निर्धनता का प्रतीक माना जाता है था। नजमुल करीम का मानना था कि ग्रामीण लोग निर्धनता में जन्म लेते है, उसी में जीवनयापन करते तथा उसी में मर जाते है। इसी को ऑस्कर लेविस ने निर्धनता की संस्कृति कहा है। लेकिन मनरेगा लागू होने से गाँव की स्थिति में क्रान्तिकारी परिवर्तन आया। मनरेगा के तहत यह प्रावधान है कि प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को वर्ष में 100 दिन का रोजगार अनिवार्य रूप से दिया जायेगा और इससे लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जायेगा। इससे परिवार में अतिरिक्त आय स्रोत का आधार मिला और परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ।

3. मनरेगा के लागू होने से ग्रामीण लोगों विशेष रूप से स्त्रियों में जागरूकता आयी, उनमें यह भावना आयी की लड़कों के समान लड़कियों को भी शिक्षा का अधिकार दिया जाय। इसी का परिणाम है कि आज लड़कों और लड़कियों में किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता है और दोनों में समानता का भाव पाया जाता है। आज ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जिसमें यह स्त्री और पुरूषों में भेदभाव किया जाय।

4. मनरेगा ऐसा कार्यक्रम है जो व्यक्ति को परिवार में अधिाक से अधिक समय देने के लिए बढ़ावा देता है। एक समय था जब व्यक्ति रोजगार के लिए वर्ष में अधिकांश समय परिवार के बाहर रहता था क्योंकि उसके पास पर्याप्त साधान नहीं थे कि वह परिवार के साथ रहकर उसका पालन–पोषण कर सके। मनरेगा के लागू होने से इस धारणा में परिवर्तन आया। अब व्यक्ति कुछ ही समय अपने परिवार से बाहर रहता है। अब व्यक्ति कुछ समय घर पर खेती–बाड़ी करता है और वर्ष में 100 दिन मनरेगा के तहत काम करता है। इसका परिणाम यह हुआ कि व्यक्ति परिवार के साथ अधिकांश समय रहता है और आय भी सृजित करता है।

5. नरेगा का ग्रामीण जीवन पर सर्वाधिक प्रभाव यह हुआ कि इससे ग्रामीण जीवन स्तर में सुधार हुआ। सर्वाधिक सुधार स्वास्थ्य एवं पोषण में हुआ। इससे अनुसूचित जातियाँ और जनजातियाँ अधिक लाभान्वित हुई है। मनरेगा का ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है क्योंकि इस स्कीम में सृजित आय ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादित वस्तुओं पर ही व्यय हुई है। एक उल्लेखनीय बात और है कि मनरेगा श्रमिकों के पक्ष में उनके हित के संरक्षक में सरकारी हस्तक्षेप हुआ है। इसने ग्रामीण निर्धन भूमिहीन मजदूरों के लिए निर्धारित मजदूरी ग्रामीण अर्थव्यस्था में प्राप्य मजदूरी की न्यूनतम सीमा निर्धारित करती है। इसी कारण ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरी का स्तर बढ़ा है।

उपर्युक्त विवेचना से स्पष्ट है कि मनरेगा ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए एक क्रान्तिकारी योजना सिद्ध हुई है। इसने ग्रामीण जीवन के प्रत्येक पक्ष को प्रभावित किया है। ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराने की केन्द्र सरकार की महात्वाकांक्षी मनरेगा योजना के तहत वर्ष 2016–17 के दौरान 5.109 करोड़ परिवारों तथा 7.64 करोड़ श्रम दिवस रोजगार का सृजन संदर्भित वर्ष में इस योजना के तहत किया गया, जिनमें 56.11ः महिला, 21.28ः अनुसुचित जाति तथा 17.57ः अनुसूचित जनजाति के लिए थे। वर्ष 2012–13 के बजट में 33000/– करोड़ रूपये का आवंटन इस योजना के लिए किया गया। वर्ष 2013–14 के बजट में इस योजना हेतु भी 33000/– करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया। वर्ष 2014–15 के लिए कुल आवंटन 34000/– करोड़ रूपये है जिसे वर्ष 2015–16 में बढ़ाकर 34699 करोड़ कर दिया गया है। वर्ष 2016–17 के बजट के लिए 38500/– करोड़ रूपये, 2017–18 के लिए 48000/– करोड़ रूपये तथा वर्ष 2018–19 में 55000/– करोड़ रूपये कर दिया गया है। प्रधानमंत्री ने इसे निर्धनता निवारण के 'जीवन्त स्मारक' की संज्ञा दी है। 1 अप्रेल 2012 से मनरेगा के अन्तर्गत भुगतान की जाने वाली मजदुरी की दरों को कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर संशोधित किया गया है।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि मनरेगा में कुछ कमियां है फिर भी इसे एक सफल योजना माना जा सकता है। मनरेगा को और अधिक सफल बनाने के लिए निम्नलिखित बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिए, जो इस प्रकार है–

1. स्थानीय सरकार और ग्राम पंचायतों की व्यवस्था और स्वेच्छा जिसमें कार्यक्रम को प्रभावी बनाने के लिए कार्य की योजना बनायी जाय और उसे लागू किया जाय, जिससे इसका लाभ स्थानीय सरकार और ग्राम पंचायत को मिल सके।

2. कार्य की निर्देशिका और प्रचार–प्रसार स्थानीय लोगों के द्वारा किया जाय, जो कार्य को पंजीकृत और मांग करने के लिए इसका उपयोग कर सके।

3. मनरेगा के तहत जितने भी कार्य किये जाय उनका सामाजिक अंकेक्षण बिना किसी दमन और भय के

ISSN NO.-2347-2944
Vol.-10, No.-I, Issues-11 YEAR- June -2019

किया जाय ताकि इसके तहत जो भी कार्य किया जाय उसमें पारदर्शिता बनी रहें।

4. मनरेगा के प्रत्येक चरण में सभी के लिए, चाहे वे अधिकारी हो या कर्मचारी, अधिकार और उत्तरदायित्व है। सामान्यतः यह देखा जाता है कि लोग अपने अधिकार की बात तो करते है लेकिन अपने उत्तरदायित्व को अनदेखा कर देते हैं। अतः किसी भी योजना के सफल संचालन के लिए आवश्यक है कि लोग अपने अधिकार के साथ–साथ अपने उत्तरदायित्व को समझे और इसको अपने जीवन में लागू करें।

5. मनरेगा के लिए बहुत सारे औपचारिक और अनौपचारिक आकलन यह दर्शाते हैं कि इसका क्रियान्वयन और प्रभावी ढंग से लागू किया जाय तो इसमें और अधिक सफलता मिलने की संभावना रहती है।

6. मनरेगा का प्रभाव सभी स्थानों पर एक समान नहीं है। किसी स्थान पर सफलता अधिक मिली है, जबकि किसी स्थान पर सफलता कम। जहाँ पर सफलता कम मिली है वहाँ पर इसका अध्ययन कराया जाय ताकि उसकी सफलता की संभावना बढ़ जाय।

7. 11वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजना यही दर्शाती है कि मनरेगा भारत में निर्धनता उन्मूलन के लिए एक कार्यक्रम है। भारत में निर्धनता उन्मूलन के लिए आवश्यक है कि इसे और प्रभावी ढंग से लागू किया जाय।

8. मनरेगा को और अधिक सफल बनाने के लिए आवश्यक है कि इसके तहत मजदूरी की दर बढ़ा दी जाय और इसके लिए वर्ष में 100 दिन के बजाय 150 या 200 दिन कर दिया जाय। इसके परिणाम स्वरूप जहाँ एक ओर ग्रामीण लोगों की आय में वृद्धि होगी वहीं दूसरी तरफ इनके जीवन स्तर में सुधार होगा और भारत में निर्धनता उन्मूलन में एक मील का पत्थर होगा।

अतः स्पष्ट रूप से कहा जागरूकता है कि यदि मनरेगा में उपर्युक्त सुधार कर दिया जाय तो ग्रामीण जीवन की पूरी संरचना ही बदल जायेगी और ग्रामीण समाज का पिछड़े समाज की अपेक्षा एक विकसित समाज में परिवर्तित हो जायेगा।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. लवानिया, एम0 एम0 एवं जैन, शशी के0 'ग्रामीण' समाजशास्त्र रावत पब्लिकेशन्स जयपुर
2. रावत, हरिकृष्ण, 'समाजशास्त्रीय चिन्तक एवं समाजशास्त्र' रावत पब्लिकेशन्स जयपुर, द्वितीय संकरण, 2003
3. गुप्ता, एम0 एल0 एवं शर्मा डी0 डी0 'भारतीय ग्रामीण समाजशास्त्र' साहित्य भवन पब्लिकेशन्स, आगरा, आठवां संस्करण, 2003
4. विद्याभूषण एवं सचदेवा, डी0 आर0, 'समाजशास्त्र के सिद्धान्त' किताब महल, अशोक नगर इलाहाबाद, चौतीसवाँ संस्करण, 2016
5. आहुजा, राम 'सामाजिक समस्यायें' रावत पब्लिकेशन्स जयपुर तृतीय संशोधित संस्करण, 2016
6. भारत 2019, महानिदेशक, प्रकाशन विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, 63वाँ संस्करण, 2019
7. लाल, एस0 एन0 एवं लाल, एस0 के0, 'भारतीय अर्थव्यवस्था : सर्वेक्षण और विश्लेषण', शिवम् पब्लिशर्स, इलाहाबाद, सर्वथा नवीन एवं पूर्णतया संशोधित संस्करण, 2018
8. मिश्रा एस0 के0 एवं पूरी बी0 के0, 'भारतीय अर्थव्यवस्था' हिमालया पब्लिशिंग हाउस, बम्बई, सत्रहवाँ संस्करण, 2005
9. दोषी, एस0 एल0 एवं जैन, पी0 सी0, 'भारतीय समाज : संरचना और प्रकार्य', 'नेशनल पब्लिशिंग' हाउस, जयपुर, संस्करण 2009

*****